मानव अधिकार संरक्षण में मीडिया की भूमिका : भारत के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Mohammad Aarif

Assistant professor
Shaheed Hemraj Meena Govt. College, Sangod, Kota

सारांश

वास्तव में मीडिया क्या है ? मीडिया शब्द मीडियेटर शब्द से बना है जिसका आशय दो लोगों के बीच परस्पर संवाद बनाने का माध्यम है। मानव बुद्धिमान एवं विवेकपूर्ण प्राणी है और इसी कारण इसको कुछ ऐसे मूल तथा अहरणीय अधिकार प्राप्त होते है जिन्हें सामान्यतया ''मानवाधिकार'' कहा जाता है। अधिकार उन्मुक्ति होने के कारण इस बात को निर्दिष्ट करते है कि कोई भी कार्य व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाना चाहिए। इस अवधारणा के अनुसार मानव को अन्यायोचित और अपमानजनक व्यवहार से संरक्षित किया जाना चाहिए। वर्तमान में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाने वाला मीडिया, मानवाधिकार संरक्षण में अपनी महत्ती भूमिका आवश्यक रूप से निभा सकता है। यह संचार का सरल एवं सक्षम साधन है। मीडिया का मुख्य कार्य है कि वह जितनी जल्दी हो सके सूचना को पूरे समाज में प्रसारित कर दे। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मीडिया जितना अधिक सक्रिय होगा मानव अधिकारों का संरक्षण उतनी ही तेजी से होगा। दूसरी ओर यह भी कहा जा सकता है कि मीडिया के अधिकतम सक्रियता के चलते समाज में व्याप्त विसंगतियाँ और मानव अधिकार के हनन को द्रुत गति से रोका जा सकता हैं । मीडिया का काम सत्ता एवं समाज में मौजूद महामानवों पर नजर रखना, उनकी मनमानी पर अंकुश लगाने की कोशिश करना, उनके गलत कार्यों को जनता के सामने लाना है। प्रश्न यह है कि क्या मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है?

मूल शब्द : मानवाधिकार, मीडीया, संरक्षण, उत्पीड़न, सकारात्मक, नकारात्मक, लोकतंत्र।

प्रस्तावना

आज यह सुस्थापित है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि मीडिया की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। उसके भी अपने कुछ कर्त्तव्य और दायित्त्व है, यदि मीडिया इन कर्त्तव्यों से विमुख होता है तो वह अभियोजन का पात्र हो सकता है। उच्चत्तम न्यायालय ने कहा कि ''यह सही है कि दैनिक जीवन से जुड़ी राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं को उजागर करना मीडिया का कार्य है,लेकिन उसका दायित्त्व यह भी है कि प्रकाषित समाचार, सत्य घटनाओं पर आधारित हो,यह भी सुनिष्चित करना आवष्क है कि उक्त समाचार प्रकाषन योग्य है या नहीं''। ऐसा इसीलिए आवष्यक है कि समाचारों से ही जनमत बनता है,

मीडिया को अबाध स्वतंत्रता दी भी नहीं जा सकती, ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। मीडिया की स्वतंत्रता उसके विभिन्न दायित्वों से बंधी हुई है, समाज के प्रति उसके कुछ कर्त्तव्य है, लोक व्यवस्था, शालीनता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, प्रेस का अभिन्न दायित्व है। यदि हम मीडिया की भूमिका का गहन परीक्षण करते है तो हमें अनेकों ऐसे उदाहरण दृष्टव्य होते है। जब जटिल परिस्थिति के बावजूद मीडिया ने अपना दायित्व बखूबी निभाया है तथा मानवाधिकारों की बहाली में अपना सफल योगदान दिया है, तथा अनेको बार मीडिया ने अपनी स्वछंदता की पराकाष्ठा को पार किया है। मीडिया की स्वतंत्रता सभी स्वतंत्रताओं की जननी है, यह व्यक्ति के मानसिक एवं बौद्धिक तथा समाज के सर्वागींण विकास के लिए आवष्यक है। सत्य का अन्वेषण मीडिया के माध्यम से ही संभव है।

मीडिया की सकारात्मक भूमिका

किसी भी देष के निर्माण एवं प्रगति में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है, इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े है जब मीडिया की शक्ति को पहचानते हुए लोगों ने उसका उपयोग लोक परिवर्तन के लिए किया।अंग्रेजी शासन के दौरान दासता से सिसकते भारतीयों में देष भक्ति व उत्साह भरने में मीडिया का बड़ा योगदान था। मानव अधिकारों को लेकर मीडियाकर्मी अत्यंत संवेदनषील है जब किसी राज्य में किसी के साथ अन्याय होता है तो इस उत्पीड़न की खबर तमाम अखबारों में प्रकाषित होती है। इसके प्रकाषित होने के बाद राज्य विधानसभा और संसद के सदनों में इस मुद्दे पर लंबी बहस होती है। देष में आंदोलन धरनों प्रदर्षन का दौर शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप सरकार भरसक प्रयत्न

करके दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रयास करती है।इस संदर्भ में दिल्ली में घटित निर्भया कांड तथा इस जैसे अनेकों कांड देखे जा सकते हैं। अत्याचार बलात्कार, सरकारी उदासीनता, न्यायालयों के निर्णय में देरी इत्यादि सभी घटनाओं को मीडिया लगातार उजागर कर रही है। जिनके खिलाफ समाज एक स्वर में बोलने लगा है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में संचार माध्यमों को अपनी ताकत का अंदाजा स्वाधीनता आंदोलन से हुआ, जब जननायकों ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता के अधिकार की मांग समाचार पत्रों के माध्यम से की और जनजागरण हुआ।वास्तव में देखे तो भारत में मीडिया की भूमिका शुरू से ही सकारात्मक, उपदेषात्मक और उदाहरणात्मक रही है। जो लोग मीडिया पर आरोप लगाते है कि मीडिया अपना दायित्व सही से नहीं निभा रहा है उन्हें यह समझना चाहिए कि आज मीडिया नहीं होता तो क्या होता? आज जितने भी विकासात्मक कार्य हो रहे है उनसे संबंधित सूचनाएँ, मानव अधिकारों के हनन के मुद्दे, विवादास्पद घटनाक्रम जिस तेजी से प्रसारित हो रहे है, क्या वे इतनी तेजी से हम तक पहुँच पाते ? स्पष्ट है कि आज मीडिया अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आगे भी मानव अधिकारों के प्रति सतत् जागरूकता तभी तक बनी रह सकती है जब तक मीडिया अपनी भूमिका सार्थक ढंग से निभाता रहेगा। आज मीडिया ने अपनी अहमियत से सभी को परिचित करा दिया है। वर्तमान संदर्भ में मीडिया ने एक नई संस्कृति को विकसित करने की कोषिष की है जिसे हम सषक्तिकरण की संस्कृति कह सकते है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बाद आयोग और मीडिया के बीच एक गहरा रिष्ता बना है। इस रिष्ते के कारण आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और मानवाधिकारों के हनन से संबंधित समस्त संवेदनषील मामलों को समाचारों पत्रों में प्रकाषित किया जाता है। मीडिया की ताकत के आगे राजनेता, अभिनेता, उद्योगपति आदि सभी महामानव सिर झुकाते है।

आज के दौर मे वैसे तो हर क्षेत्र में मीडिया की अहम भूमिका है, वह चाहे सामाजिक हो, राजनैतिक हो या विज्ञान का क्षेत्र हो। पर जब हम मीडिया द्वारा मानव के अधिकारों के संरक्षण की बात करते है तो मानव संवेदनाओं के प्रति मीडिया अपनी क्या भूमिका निभा रहा है ? महत्वपूर्ण है, इसके लिए सबसे पहले हमें मानवीय संवेदनाओं को जानना जरूरी है। कि मानवीय संवेनाओं के दायरे में कौनसी बाते है जिन पर हमें फोकस करना चाहिए।

मानवीय संवेदना यानि मानव जीवन में शुरू से लेकर अंत तक होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं से संबंधित महसूस होने वाली संवेदना अर्थात एक मानव के लिए उसके जीवन में जो खुषी देने वाली व दुख देने वाली घटनाएँ घट रही है जिनसे उसका जीवन प्रभावित होता है। वह उन संवेदनाओं को समाज में अपने आस पास रहने वाले लोगों मे बाँटना चाहता है, उनका साथ चाहता है, इसके लिए मीडिया एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इसमें यह आवष्यक है कि मीडिया मानवीय संवेनाओं को बेहद सावधानी के साथ समाज के सामने रखे, जो तथ्य परक हो। जिसमें किसी व्यक्ति या समाज को नुकसान ना पहुँचे। समाज में कोई विकृति उत्पन्न ना हो। प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रोनिक मीडिया दोनों को ही हमेषा इस बात का ध्यान रखना चाहिए इन दोनो के साथ वर्तमान दौर में हावी होता सोषल मीडिया उसकी भूमिका को भी हम नहीं नकार सकते है। हालांकि सोषल मीडिया को विष्वसनीय नहीं कहा जा सकता लेकिन आज समाज में उसकी जड़े गहरी होती जा रही है। आज हम अपनी खुषी और दुख के पलों तथा उद्गारों को फोटों के साथ सोषल मीडिया पर शेयर करते है और उस पर मिलने वाली प्रतिक्रियाओं से संतुष्ट होते है कि हमारी संवेदनाओं के साथ इतने लोग जुड़े हुए है। कई मामलों में इसकी भूमिका सकारात्मक भी होती है, आपको बताना चाहूँगी कि भारत के आजाद होने से पहले मीडिया अस्तित्व में है समय के साथ हुए बदलावों के कारण मीडिया की भूमिका में भी परिवर्तन आया है। इसके बावजूद इसकी भूमिका और अहम होती जा रही है। यदि किसी खबर को पढ़कर या देखकर लोग भावुक हो जाए तो मान लिजिए मीडिया मानवीय संवेदनाओं के प्रति अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा रहा है।

इस संबंध में एक घटना शेयर करना चाहूँगी इसी वर्ष अगस्त माह में सूरत शहर में एक सड़क हादसा हुआ उस दुर्घटना में माता पिता और उनकी दो पुत्रियों की मृत्यु हो गई। हादसे में आठ माह का मासूम बेटा और उसकी 70 वर्षीय दादी बच गई। यह परिवार बीकानेर का ही रहने वाला था। पूरा परिवार समाप्त हो गया। मात्र 8 माह का पोता और 70 वर्ष की दादी, आगे पीछे कोई नहीं, शहर में श्रद्धाजँलि सभाएँ होती है, दुख प्रकट किया जाता है इसी बीच एक समाचार पत्र में समाचार प्रकाषित होता है। इस समाचार में समाज से कहा जाता है कि इस दादी– पोते को श्रद्धाजँलि के बजाय अर्थाजँलि की आवष्यकता है। अर्थात उन्हें अपने लालन पालन के लिए पैसों की आवष्यकता है। मात्र एक लाइन की इस संदेष ने लोगों को इस कदर भाव विहल कर दिया कि लोगों ने 20 लाख रू एकत्रित कर वृद्ध दादी को सौंप दिए। इस पैसे से आज दादी अपने पोते का लालन पालन कर रही है और आगे उसकी पढ़ाई करवा पाएगी। सही मायने में इसे कहा जा सकता है कि मीडिया ने मानवीय संवेदना और मानव अधिकारों के संरक्षण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई । क्योंकि जीने का अधिकार, पालन पोषण का अधिकार, षिक्षा का अधिकार यह सब हमारे मानव अधिकार है। यदि दादी को यह धनराषि प्राप्त नहीं होती तो वह कैसे अपना और अपने पोते का भरण पोषण करती ? यदि हम ध्यान से देखेगे तो हमें ऐसे कई उदाहरण आस पास नजर आ जाएगे, जब मीडिया ने प्रभावी भूमिका निभाई है।

मीडिया की नकारात्मक भूमिका

मीडिया वरदान ही नहीं अभिषाप भी है मीडिया को लेकर कुछ नकारात्मक पहलू दिखाई देते है। आज बाजारवाद व स्वार्थवष मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूलता जा रहा है। समाचार पत्रों में मानवाधिकारों के हनन के नाम पर सिर्फ पुलिस

हिरासत और जेल में होने वाली गतिविधियों एवं मौतों की खबरें ही अधिकांष रूप से प्रकाषित की जाती है। परंतु मानवाधिकार हनन की घटनाओं को वह स्थान नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। समाचार पत्रों की अपेक्षा इलेक्ट्रोनिक मीडिया मानवाधिकारों के हनन से संबंधित घटनाओं को आधिकाधिक रूप से मुखरित कर रहा है। मीडिया को आज अपने अधिकारों से वंचित लोगों के अधिकारों का रक्षा के मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कई मामलों में देखा जाता है कि मीडिया अपनी भूमिका को नजरअंदाज कर केवल अपनी रेटिंग बढ़ाने में लग जाता है, जो अनुचित है। मीडिया या प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो कि मिल भी रही है, लेकिन अनेकों बार मीडियाकर्मी स्वतंत्रता के नाम पर अपनी मनमर्जी करते है। लाइव कवरेज और टीआरपी बढ़ाने के लिए सारी हदे पार कर देते है।जो अनुचित है, सनसनी फैलाने के लिए यह देष की सुरक्षा को भी दाव पर लगाने से नहीं चूकते। 26/11 को मुंबई में हुए आंतकवादी हमले का सीधा प्रसारण मीडिया द्वारा दिखाया गया। जिससे आंतकवादियों को सुरक्षाबलों द्वारा उनके खिलाफ की जा रही कार्यवाही का पूर्ण ब्यौरा मिल रहा था और वह परोक्ष रूप से उनकी मदद थी। नजीतन ताज होटल में फंसे हुए बंधकों, होटलकर्मियों, और सुरक्षाकर्मियों की जान को खतरा उत्पन्न हो गया था। इसी क्रम में मीडिया ने कई गलत खबरे भी प्रकाशित की।
मीडिया ऐसे वर्ग से जुड़े लोगों को कवर करने में दिलचस्पी लेता है, जिससे वह खुद जुड़ाव महसूस करता है। चूँकि मीडिया में एक बड़ी हिस्सेदारी बड़े एवं उच्च वर्ग के लोगों की होती है अतः इसी वर्ग के लोगों के जीवन में घटित घटनाओं के कवरेज को अपेक्षाकृत ज्यादा तवज्जों दी जाती है। मीडिया के इस रवैये को अब पुलिस भी पहचानने लगी है। यही वजह है कि निम्न वर्ग पर हुए अपराधिक मामले आज भी थानों में आसानी से दर्ज नहीं होते है। यदि दर्ज हो भी जाए तो एक बडी घटना को छोटी में तब्दील कर दिया जाता है। उदाहरणतः बलात्कार को मामूली छेड़ छाड़ के मामले का रूप दे दिया जाता है। साथ ही साथ मामला आनन फानन में सुलझा हुआ दिखा दिया जाता है। न्यायिक प्रक्रिया भी कई बार मीडिया रिर्पोटस से प्रभावित हो जाती है।
आज का मीडिया स्वाधीनता आंदोलन के दौर के विपरीत व्यावसायिक घरानों द्वारा नियंत्रित है। खासकर टेलीविजन चैनल के लिए बड़ी पूँजी की दरकार होती है। बड़ी पूँजी और विज्ञापन आय से पोषित मीडिया अपने मालिकों तथा कारपोरेट विज्ञापन दाताओं के हितों की अनदेखी हरगिज नहीं करेगी। इसलिए यदि यह चाहते है कि रोजगार का अधिकार और सूचना का अधिकार से जुड़ी खबरे तथा जनअधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली शख्सियत अरूणा राय को या आदिवासी विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाली मेघा पाटेकर या पूर्वोत्तर में अर्धसैनिक बलों के दमन के विरूद्ध संघर्ष करने वाली इरोम शर्मिला को न दिखा कर षिल्पा शेट्टी तथा मल्लिका शेरावत को रैंप पर कैट वाक करती माडलों को दिखाया जाए तो उनके सरोकारों का खुलासा स्वतः ही हो जाता है। यह इस प्रवृति का द्योतक है कि व्यवसाय और पूँजी के दबाव में मीडिया तेजी से अपने समाज और मानव अधिकार उन्मुख सरोकारों को खोती जा रही है। उसकी सामाजिक संवेदना कुंद होती जा रही है।

मीडिया के समक्ष चुनौतियाँ

मीडिया मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मीडिया से निर्भिकता तथा सत्य निष्ठा की उम्मीद की जाती है लेकिन मीडिया को मानवाधिकारों के संरक्षण में अपनी महत्ती भूमिका निभाने हेतु अनेको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।एक तरफ तो वे आंतकवादियों या असामाजिक तत्वों के हत्थे चढ़ते है तो दूसरी ओर मानव अधिकार उल्लंघन जैसे मुद्दों की रिर्पोट प्रकाषित करने पर सुरक्षा बलों की नाराजगी झेलते है। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रकारों को पुलिस के अधिकारियों और सेना के जवानों ने अपनी राह का रोड़ा मान लिया है। कई बार तो सामान्य जानकारियों को शासकीय गोपनीयता या राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सूचना देने से मना कर दिया जाता है। लोगों में ऐसी धारणा है कि अधिकांषतः पुलिस द्वारा ही मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। यदि पत्रकार उचित तथ्यों के साथ घटना को उजागर करते है तो उन्हें उग्रवादी गुटों का समर्थक बताकर नाहक ही परेशान किया जाता है।
यह कटु सत्य है कि देष के सभी हिस्सों में पुलिस के साथ प्रेस का संबंध तनावपूर्ण रहा है। पुलिस की अकर्मण्यता, निष्क्रियता, ब्लात्कार, नरसंहार और खराब कानून व्यवस्था आदि के बारे में जब पत्रकार लिखते है तो पुलिस के बड़े अधिकारियों की आंखों में खटकने लगते है। अतः पुलिस के असहयोगात्मक रवैये के कारण भी मीडिया अपनी सषक्त भूमिका निभाने में असमर्थ हो जाता है। जबकि मानवाधिकारों के संरक्षण का प्रमुख दायित्व पुलिस पर ही है, परंतु विडबंना यह है कि उन्हीं के द्वारा मानवाधिकारों के हनन की घटनाएँ आए दिन उजागर होती रहती है। मानवाधिकार आयोग तथा आम कार्यकर्त्ता एवं मीडिया के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है कि तमाम प्रयासों के बावजूद पुलिस की मनमानी पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है। भारत में सबसे अधिक मानवाधिकार हनन के मामले पुलिस हिरासत में ही होते है। पुलिस हिरासत में कैदियों की मौत, महिला कैदियों एवं बालकों के यौन उत्पीड़न की घटनाएँ समय समय पर प्रकाष में आती रहती है। अधिकांष राज्यों के थानों में प्राथमिकी दर्ज कराना भी कठिन कार्य है। इसका कारण है कि थाना प्रभारी अपने इलाके में होने वाले अपराधों को सामने लाना ही नहीं चाहते। इसके चलते मीडिया और पुलिस के मध्य तनाव के र्मोचे खुले रहते है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के पूर्व तो अधिकतर जेलों की दयनीय दषा की जानकारी भी प्राप्त नहीं हो पाती थी। आज भी मीडिया और जेल तंत्र के बीच संवाद का अभाव बना हुआ है। परिणामस्वरूप मानव अधिकार हनन की घटनाएँ प्रकाश में नहीं आ पाती है।

निष्कर्ष

मानवाधिकारों का दायरा बहुत व्यापक है। यदि हम मीडिया की भूमिका का गहन परीक्षण करते है तो हमें अनेकों ऐसे उदाहरण दृष्टव्य होते है। जब जटिल परिस्थितियों के बावजूद मीडिया ने अपना दायित्व बखूबी निभाया है तथा मानवाधिकारों की बहाली में अपना सफल योगदान दिया है। भूमंडलीकरण के इस दौर में मीडिया की भूमिका, उसका भौतिक आकार प्रकार तेजी से बढ़ा है लेकिन आज उसे किसी तरह निष्पक्ष तथा निर्विकार और तटस्थ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मीडिया, व्यापार और राजनीति का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। जनतंत्र में मीडिया की भूमिका तभी सार्थक हो सकती है जब उसका स्वामीत्व और प्रबंधन जनतांत्रिक और पारदर्षी और मानवाधिकारों का संवहन करने वाला हो। लेकिन मीडिया से जुड़े लोगों को ही मानवाधिकारों की विस्तृत जानकारी नहीं है। हालांकि यह भी सही है कि मानवाधिकार खुद मीडिया के लिए भी जरूरी है। आज मानवाधिकारों की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मीडिया को भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने में दिक्कत आ रही है।

मीडिया यदि अपने निहित स्वार्थों को भूल कर अपनी जिम्मेवारी निभाए तो समाज को एक दिषा प्रदान कर सकता है । मीडिया अपराध की खबरों को दिखाए लेकिन सकारात्मक खबरों से परहेज न करे। समाज में फैली बुराईयों के अलावा विकास को भी दिखाए। ताकि आम आदमी निराषा में डूबा न रहे कि हमारे देष की कभी उन्नति नहीं हो सकती। मानवीय संवेदना एवं मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रति मीडिया की भूमिका निःसंदेह काफी महत्वपूर्ण है बषर्ते मीडिया अपनी भूमिका को ईमानदारी के साथ निभाए।

आज संपूर्ण विश्व न्याय, उचित राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हेतु मीडिया की ओर देख रहा है, क्योंकि मीडिया पारदर्षिता का सोपान है। यह सत्य है मीडिया ने समाज के सूक्ष्म विकास के लिए कार्य नहीं किया है। परंतु वैष्विक राजनीतिक समस्याओं को समाज के सामने रखा है। आज मीडिया से ऐसी आषा की जा रही है कि वह समाज में एक ऐसा पारदर्षी आवरण तैयार करे जिसके प्रकाष में समस्त मानव जाति अपने मानवाधिकारों को संरक्षित कर सके।

लोक के इस तंत्र का तू चौथा स्तंभकार
लेखनी से तू अपने देष का निर्माण कर
विष्व के चित्र पटल पर तू तूलिका से रंग भर
मनुज के मन में नया फिर से तू विष्वास भर

संदर्भ सूची

- डा..एच.ओ अग्रवाल .– मानव अधिकार–सेंट्रल ला पब्लिकेषंस, इलाहाबाद,2002
- डा. मधु मुकुल चतुर्वेदी – भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा एवं मानव अधिकार–राज पब्लिषिंग हाउस, जयपुर, 2003
- डॉ कृष्ण कुमार शर्मा : मीडिया और मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिषिंग हाउस,नई दिल्ली,2017
- डॉ. महेंद्र कुमार मिश्रा : भारत में मानव अधिकार, आर.बी.एस.ए.पब्लिषर्स,जयपुर2008
- प्रवीण कुमार मेल्लल्लीः भारत का संविधन, वृत्तिक आचार नीति और मानव अधिकार, सेज पब्लिकेषंस, नई दिल्ली,
- अक्षेन्द्रनाथ सारस्वत :सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और पुलिस, एस.आर.एस.पब्लिकेषंस, आगरा
- मानव अधिकारों का संरक्षण और भारतीय मीडिया – https : // www. Pravakta. com
- मीडिया और मानव अधिकार– www.Jagranguctiopn.com
- मानव अधिकार और मीडिया – www.dharmpath.com
- मानवाधिकार उल्लघंन और पत्रकारिता–www.Newswriters.com
- हिंदी मीडिया और मानवाधिकार – www.Rachanakar.org.blog